राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या:- 1537/2023

महेश कुमार मीणा (कर्मचारी आई.डी.- आरजेबीआर200704009884)

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व (के-2) विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, बांरा, राजस्थान।
3. तहसीलदार, मंगलोर, जिला बांरा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.06.2023
आदेश की दिनांक : 16.06.2023

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र पारीक, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी की नियुक्ति अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के अंतर्गत जिला कलक्टर बांरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2007 के जरिये हुई थी। परिवीक्षा काल दिनांक 30.07.2009 को पूर्ण होना था, किन्तु अपीलार्थी ने उक्त अवधि में 170 दिवस अनुरस्थित रहने के कारण असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी के परिवीक्षा काल में 27 दिवस की अभिवृद्धि के उपरांत परिवीक्षाकाल दिनांक 25.08.2009 को पूर्ण होने से दिनांक 26.08.2009 से राजस्थान सिविल सेवा

(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के नियम 22, अनुसूचि-5 के द्वारा अपीलार्थी को वेतन भुगतान स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा दिनांक 21.12.2014 को उत्तीर्ण कर ली गई। अपीलार्थी ने उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए कथन किया है कि सातवें वेतनमान आयोग की सिफारिश दिनांक 01.01.2017 से लागू होने के बाद भी प्रार्थी को वर्तमान में छठा वेतनमान आयोग का न्यूनतम वेतनमान दिया जा रहा है, जो कि कानूनी प्रावधान के विपरीत है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर होने के पश्चात न तो अपीलार्थी का वेतन नियमित किया गया है, न वेतनवृद्धि की गई है और न ही पदोन्नति की गई है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष प्रार्थना की है कि अपीलार्थी की सेवाएं नियमित की जाये एवं अपीलार्थी का वेतन नियमित किया जावे, वेतन वृद्धि की जाये तथा पदोन्नति का लाभ भी अपीलार्थी को प्रदान किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का

अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपे्रक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)